

[2024] 12 एस. सी. आर 1253: 2024 आई एन एस सी 1041

पवन कुमार

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(सिविल अपील संख्या: 14689/2024)

18 दिसंबर 2024

[जे. बी. पर्दीवाला और आर. महादेवन, जे. जे.]

विचार के लिए मुद्दा

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("बी.पी.सी.एल") द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने एक नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकान की नियुक्ति/आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अपीलकर्ता का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया तथा उसने तीसरे पक्ष - श्री लीला धर और श्री दिनेश कुमार से संबंधित भूमि का एक उपयुक्त टुकड़ा क्रय/पट्टे के लिए प्रस्तावित किया, जिनके सहमति पत्र आवेदन के साथ उपलब्ध कराये गये। आवेदन के समय, श्री लीला धर और श्री दिनेश कुमार के बीच अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में कुछ विवाद था। लेकिन अंततः निगम की संतुष्टि के अनुसार इसका निपटारा कर दिया गया, इससे पहले कि वे आशय पत्र जारी करते। आवेदन प्रक्रिया में असफल दावेदार ने 'गलत सूचना' के आधार पर अपीलकर्ता को आवंटन को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। अपीलकर्ता उस आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि एक संवैधानिक न्यायालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) द्वारा खुदरा दुकानों के आवंटन के निर्णय में कब हस्तक्षेप कर सकता है।

हेडनोट्स[†]

न्यायिक समीक्षा - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा खुदरा दुकानों के आवंटन के निर्णय में संवैधानिक न्यायालय कब हस्तक्षेप कर सकता है:

अभिनिर्धारित किया गया: न्यायालय डीलरशिप के आवंटन के निर्णय में तब हस्तक्षेप करेगा जब निगम (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) अपीलकर्ता के प्रति पूर्णतया पक्षपात प्रदर्शित करता है। - एक बार जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपीलकर्ता द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया से आश्वस्त हो जाता है, तो संवैधानिक न्यायालयों को आवंटन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। - यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दृष्टिकोण मनमाना या दुर्भावनापूर्ण है या अपनाई गई प्रक्रिया आवेदकों में से किसी एक को लाभ पहुंचाने के लिए है, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति की आवश्यकता होगी। - निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाना चाहिए कि उक्त विकृतियों को दूर रखा गया है। [अनुच्छेद 22-23, 25]

निविदा- एक संवैधानिक न्यायालय को इसे प्रदान करने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उपक्रम निगमों के निर्णय के संबंध में कब न्यायिक प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिए:

अभिनिर्धारित किया गया: निविदा दस्तावेजों का लेखक वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो इसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने तथा इसके दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति है और इसलिए, संवैधानिक न्यायालयों को निविदा दस्तावेजों की इस समझ और सराहना को स्वीकार करना चाहिए, जब तक कि समझ या सराहना में या निविदा शर्तों के नियमों के अनुप्रयोग में दुर्भावना या विकृति न हो - केवल इस कारण से कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने निविदा दस्तावेजों की ऐसी व्याख्या की है जो संवैधानिक न्यायालयों को स्वीकार्य नहीं है, यह व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं हो सकता है - जहां कोई निर्णय स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज की भाषा के अनुरूप लिया जाता है या उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए निविदा जारी की गई है, वहां न्यायालय को संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और न्यायालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन या तुलना अस्वीकार्य होगी - अन्य क्षेत्रों में अनुबंध से संबंधित एक साधारण उपकरण को स्कैन करने और समझने के लिए लागू सिद्धांत को तकनीकी कार्यों और विशेष कौशल की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों की व्याख्या और मूल्यांकन करने से अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। मालिक को इस उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और जोड़ों में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति होनी चाहिए। [अनुच्छेद 25]

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

रिटेल आउटलेट डीलरशिप; डीलरशिप का आवंटन; गलत जानकारी; न्यायिक समीक्षा; न्यायिक प्रतिबंध

जिससे मामला उत्पन्न हुआ

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 14689/2024

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 835/2020 के दिनांक 06.07.2023 के निर्णय एवं आदेश द्वारा।

दलों के लिए उपस्थिति

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्याम एस शर्मा, संजीव कुमार बलियान, ऋषभ सिंघले, अमर्त्य भूषण, योजित मेहरा, तुषार भूषण, यश यादव, सुश्री ज्योति गर्ग, सुजाय चटर्जी, अधिवक्तागण - अपीलकर्ता के लिए।

एस. डी. संजय, ए. एस. जी., वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, विक्रान्त नारायण वासुदेव, रोहित लोचव, श्लोक चंद्र, सुयश पांडे, शौर्य राय, सुनीता गौतम, माधव सिंहल, डॉ. एन. विशाखमूर्ति, पारिजात सिन्हा, दिव्यम ध्यानी, सुश्री रेश्मी रिया सिन्हा, राहुल नारंग, श्यामल कुमार, अधिवक्तागण - प्रतिवादीओं के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. पक्षकारों के समूह से प्रोफॉर्मा प्रतिवादी संख्या 1 को हटाने की मांग करने वाले आवेदन की अनुमति अपीलकर्ता के जोखिम पर दी जाती है।
2. कारण शीर्षक को तदनुसार संशोधित किया जाए।
3. अनुमति मंजूर की गई।
4. यह अपील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 835/2020 में दिनांक 6-7-2023 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 - यहां (उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई और इस प्रकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में पेट्रोल पंप चलाने के लिए डीलरशिप का आवंटन रद्द कर दिया गया।

5. इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं:-
6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में, "बी. पी. सी. एल".) ने महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोल पंपों के लिए खुदरा आउटलेट डीलरशिप की नियुक्ति/आवंटन के लिए दिनांक 25-11-2018 पर एक विज्ञापन जारी किया।
7. यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता ने- इसमें एक ऑनलाइन आवेदन किया था जिसमें खुदरा दुकान डीलरशिप नियुक्त/आवंटित किए जाने की अपनी इच्छा दिखाई गई थी।
8. अपीलकर्ता-इसमें ओ. बी. सी. श्रेणी के अंतर्गत आने का दावा करता है और तदनुसार उसने ओ. बी. सी. श्रेणी के खिलाफ 24-12-2018 पर आवेदन किया।
9. अपीलकर्ता को नियमित और ग्रामीण खुदरा दुकान के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए विवरणिका के खंड 4 (v) में उल्लिखित समूह II में शामिल किया गया था, अर्थात् अपीलकर्ता ने किसी तीसरे पक्ष से संबंधित खरीद/पट्टे के लिए उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव की पुष्टि की थी।
10. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने श्री लीला धर और श्री दिनेश कुमार के स्वामित्व वाली भूमि के एक टुकड़े की पेशकश की थी, जिस पर के. के. सं. 4/5, खसरा सं. 167/70 7-6 बीघा का एक टुकड़ा था, जो मौज़ा पट्टा में स्थित था।
11. ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई भूमि के संबंध में श्री लीला धर और श्री दिनेश कुमार के बीच कुछ विवाद था। हालाँकि, अंततः निगम की संतुष्टि के लिए इसका निपटारा किया गया।
12. प्रतिवादी संख्या 5 - ने उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका संख्या 835/2020 प्रस्तुत की और निम्नलिखित राहतों का अनुरोध किया:-

"i) गांव पट्टा, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में आर.ओ डीलरशिप चलाने के लिए 17.06.2019 को आयोजित ड्रा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 को जारी किए गए आशय पत्र को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करें।

ii) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को निर्देश देते हुए परमादेश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को सबसे योग्य आवेदक होने के नाते आरओ

डीलरशिप के आवंटन के लिए मामले पर तुरंत कार्रवाई करें।

- iii) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए परमादेश जारी किया जाए, क्योंकि उन्होंने आर.ओ डीलरशिप दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने में प्रतिवादी संख्या 5 के साथ मिलीभगत की है।
- iv) मौजूदा मामले से संबंधित रिकार्ड मंगाएं।
- v) प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाओं की लागत का भुगतान करने का निर्देश दें।”

13. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के तहत रिट याचिका को अनुमति दे दी गई।

14. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए परिच्छेद 32 से 44 में सं. 5 निम्नानुसार देखा गया है:-

“32) इनमें से किसी भी तथ्य को प्रतिवादीदाता नं.5 अपने आवेदन में नहीं दिखाया।

33) मान लीजिए कि खुदरा दुकानों के लिए विक्रेता के चयन के लिए निगम द्वारा जारी संलग्नक पी-3 विवरणिका में खंड 22 शामिल है जो निम्नानुसार है:-

“22 गलत जानकारी

यदि आवेदन में या उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में या बाद में उम्मीदवार द्वारा आवेदन के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए किसी भी कथन को किसी भी स्तर पर छिपाया/गलत प्रस्तुत/गलत या झूठा पाया जाता है, तो आवेदन बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है और यदि आवेदक को डीलर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो डीलरशिप समाप्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में अभ्यर्थी/डीलर का संबंधित कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा”।

34) इस प्रकार, यदि प्रतिवादी संख्या 5 जैसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिया गया कोई भी कथन किसी भी स्तर पर झूठा, गलत पाया जाता है या कुछ तथ्यों को दबाया या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया पाया जाता है, तो आवेदन को निगम द्वारा बिना कोई कारण बताए अस्वीकार किया जा

सकता है और यदि आवेदक को डीलर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो डीलरशिप समाप्त की जा सकती है।

35) अजीब बात यह है कि निगम द्वारा जारी विवरणिका में इस तरह के खंड को शामिल किए जाने के बावजूद, और इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को 25.06.2019 को दी गई झूठी जानकारी के बारे में सूचित किया था (लीलाधर और उनके भाई दिनेश कुमार के बीच एक सिविल सूट के लंबित होने के तथ्य सहित), प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने आगे बढ़कर 21.09.2019 को प्रतिवादी संख्या 5 को आशय पत्र जारी किया, जो ऊपर उल्लिखित खंड-22 का घोर उल्लंघन है।

36) हमारी सुविचारित राय में, यह प्रतिवादी सं. 2 से 4/ निगम द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को खुदरा दुकान डीलरशिप प्रदान करना विवरणिका के खंड-22 के तहत उचित नहीं था, केवल इस आधार पर कि लीलाधर और उनके भाई दिनेश कुमार के बीच बाद में अदालत के बाहर समझौता हुआ था और दिनेश कुमार ने बाद में एक शपथ पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि उन्हें प्रतिवादी नं.5. को डीलरशिप प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

37) ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा क्रम संख्या 13 में दायर आवेदन में, जहाँ भूमि का विवरण प्रस्तुत किया जाना है, प्रतिवादी संख्या 5 यह उल्लेख कर सकता था कि लीलाधर और अन्य लोग भूमि के सह-स्वामी थे, लेकिन इसके बजाय, उसने केवल लीलाधर का उल्लेख किया और अन्य सह-स्वामियों या लीलाधर और उसके भाई दिनेश कुमार के बीच लंबित दीवानी मुकदमे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया।

38) उक्त आवेदन में दिए गए वचन और प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा के मद्देनजर कि गलत जानकारी/गलत बयानी/तथ्यों को छिपाने के कारण वह रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अयोग्य हो जाएगा, जो पांचवें प्रतिवादी को बाध्य करेगा, न केवल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 उसे रिटेल आउटलेट डीलरशिप प्रदान नहीं कर सकते हैं, बल्कि वे याचिकाकर्ता को एक हस्तक्षेपकारी हस्तक्षेपकर्ता कहकर उसे आशय पत्र देने में अपनी कार्रवाई का बचाव भी नहीं कर सकते हैं।

39) हम यह समझने में असफल रहे कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को हस्तक्षेपकारी हस्तक्षेपकर्ता कैसे माना जा सकता है, जबकि वह भी प्रतिवादी संख्या 5 के साथ खुदरा दुकान के आवंटन के लिए दावेदार था।

40) जैसा कि रमण दयाराम शेटी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एवं अन्य (1979) 3 एससीसी 489 के निर्णय में कहा गया है, यदि कोई कार्यकारी एजेंसी कुछ मानक निर्धारित करती है, जिसके आधार पर वह अपने कार्यों का मूल्यांकन करती है, तो उसे उन मानकों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आज एक कल्याणकारी राज्य में सरकार विशेष सेवाओं की नियामक और वितरक है और नौकरियों, अनुबंधों, लाइसेंसें, कोटा आदि सहित बड़ी संख्या में लाभों की प्रदाता है; सरकार द्वारा वितरित मूल्यवान वस्तुएँ कई रूप लेती हैं; कई व्यक्ति और कई अन्य व्यवसाय सरकारी अनुबंध के रूप में उदारता का आनंद लेते हैं, और सरकार या उसकी एजेंसी का विवेक असीमित नहीं है, इसमें वह अपने मनमाने विवेक या अपनी मधुर इच्छा से उदारता नहीं दे सकती या रोक नहीं सकती।

41) इसे बी. एस. मिन्हास बनाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान और अन्य (1983) 4 एस. सी. सी. 582 में दोहराया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रतिवादी की ओर से अपने उप-नियमों का पालन करना अनिवार्य है क्योंकि उन्हें मनमानेपन से बचने के लिए इसके मामलों के संचालन के लिए तैयार किया गया है और प्रतिवादी उप-कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए दायित्व से बच नहीं सकता है।

42) हाल ही में, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2023) 2 एस.सी.सी. 703 मामले में इस बात को दोहराया गया और यह माना गया कि यदि राज्य की किसी एजेंसी ने पात्रता का कोई मानक या मानदंड निर्धारित किया है और यदि निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति पात्रता की इस शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी निविदा विचार के लिए पात्र नहीं होगी। यह माना गया कि इस सिद्धांत का भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व

है।

43)स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 - बीपीसीएल द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को रिटेल आउटलेट डीलरशिप का दिया गया अधिनिर्णय बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने आवेदन में गलत बयान दिया था कि लीलाधर उक्त आउटलेट स्थापित करने के लिए प्रस्तावित भूमि के एकमात्र मालिक थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और भूमि दिनेश कुमार के सह-स्वामित्व में थी और सिविल कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा भी लंबित था, जिसका खुलासा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा नहीं किया गया था।

44)तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है; प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को 21.09.2019 को जारी आशय पत्र निरस्त किया जाता है; और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त गाँव में रिटेल आउटलेट डीलरशिप प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर छह सप्ताह के भीतर विचार करें। प्रतिवादी संख्या 2-4 और प्रतिवादी संख्या 5, दोनों मिलकर याचिकाकर्ता को 10,000/- रुपये का खर्च अदा करेंगे।

15. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को डीलरशिप के आवंटन के उद्देश्य से निगम के समक्ष कुछ प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा नहीं करने का दोषी पाया गया।
16. चूंकि अपीलकर्ता के पक्ष में आवंटन उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था, इसलिए अपीलकर्ता वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।
17. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण, बी.एच.पी.एल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरी और प्रतिवादी संख्या 5 - जो उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता थे - की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विक्रान्त नारायण वासुदेव को सुना है।
18. हम उच्च न्यायालय के समक्ष निगम के रुख पर ध्यान देते हैं, जैसा कि उत्तर से परिलक्षित होता है।
19. निगम ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने डीलरशिप के आवंटन के लिए ऑनलाइन

आवेदन पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से अपीलकर्ता से आवश्यक जानकारी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं।

20. हम निगम द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 17 और 18 को उद्धृत करते हैं।

“17. इस अनुच्छेद की विषयवस्तु तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर ज़मीन के सह-स्वामियों के बीच अदालत के बाहर हुए सौहार्दपूर्ण समझौते से संबंधित तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में आशय पत्र जारी किया गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चयनित उम्मीदवार ने प्रतिवादी को सह-स्वामियों की सहमति सहित सभी प्रासंगिक भूमि दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनकी संबंधित आवेदन जांच समिति द्वारा जांच और सत्यापन किया गया और उन्हें सही पाए जाने के बाद उनके मामले पर आगे कार्रवाई की गई। खुदरा दुकान के आवंटन के लिए सभी दिशा-निर्देशों और नीतियों का पालन करने के बाद ही अंततः प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में आशय पत्र जारी किया गया।

18. इस अनुच्छेद की सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किस आधार पर किया है, क्योंकि चयन प्रक्रिया 41 दिनों के भीतर पूरी होनी थी। प्रस्तुत है कि चयनित उम्मीदवार श्री पवन कुमार ने रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए ग्रुप 2 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था। ड्रा के बाद चयन की सूचना और चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची 21.06.2019 को ई-मेल द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को भेज दी गई। उन्होंने प्रतिवादी द्वारा अपेक्षित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें सह-स्वामियों की सहमति भी शामिल थी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों की चयन ब्रोशर 2018 के अनुरूप आवेदन जांच समिति द्वारा जांच की गई। चयन ब्रोशर 2018 में उल्लिखित सभी निर्धारित मानदंडों का पालन करने के बाद, अंततः प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में आशय पत्र जारी किया गया। इसके अलावा, आशय पत्र की शर्तों के अनुरूप, प्रतिवादी संख्या 5 ने 20.12.2019 को अन्य सह-मालिकों के साथ एक पट्टा समझौता किया। अंततः प्रतिवादी को दिनांक

1.02.2020 को डीसी सोलन से विषय स्थान के लिए अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह उल्लेख करना भी उचित है कि याचिकाकर्ता का विषय स्थान के लिए कभी चयन ही नहीं हुआ था और इसलिए उसके लिए प्रतिवादी को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं है। यह भी दोहराया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता का कभी चयन ही नहीं हुआ, इसलिए उत्तर देने वाला प्रतिवादी उसकी पात्रता पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

21. इस न्यायालय के समक्ष भी निगम ने अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें कहा गया है:-

“XII. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 - भारत संघ को वर्तमान कार्यवाही में अनावश्यक रूप से और गलत तरीके से पक्षकार बनाया है क्योंकि यह किसी भी तरह से प्रश्नगत मुद्दे से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार, माननीय उच्च न्यायालय को पक्षकारों के गलत संयोजन के लिए रिट याचिका को ही खारिज कर देना चाहिए था और इसके विकल्प के रूप में, प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकारों से हटा देना चाहिए था।

XIII. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों में से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उनके आवेदनों की श्रेणियों को दिशानिर्देशों के अनुसार अलग किया गया था। उत्तरदाता प्रतिवादी/बी.पी.सी.एल को ग्रुप 1 श्रेणी के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए, उत्तरदाता प्रतिवादी/बी.पी.सी.एल ने 17.06.2019 को ग्रुप 2 श्रेणी के अंतर्गत उम्मीदवारों के लिए ड्रा निकाला, जिसमें याचिकाकर्ता का चयन किया गया। तदनुसार, उन्हें चयन की सूचना भेज दी गई तथा आगे के सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को भी कहा गया। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि के कागजात सहित सभी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक देखने के बाद ही, उसके मामले पर कार्रवाई की गई और उसे उत्तरदाता प्रतिवादी/बी.पी.सी.एल द्वारा 2018 के उक्त ब्रोशर के अनुरूप आशय पत्र (एलओटी) जारी किया गया।

XIV. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए

क्योंकि याचिकाकर्ता/चयनित अभ्यर्थी से प्राप्त सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की गहन जांच की गई थी और उसके बाद ही उसके पक्ष में आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था। यह भी उल्लेख करना उचित है कि एलओआई जारी करने से पहले, श्री लीला धर और श्री दिनेश कुमार और प्रस्तावित भूमि के अन्य सह-स्वामियों के बीच समझौता हो गया था। तदनुसार, श्री दिनेश कुमार ने एक हलफनामा तैयार किया और प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि के सह-स्वामियों के बीच विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से अदालत के बाहर निपटारा करने का उल्लेख किया गया। उन्होंने 08.08.2019 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की स्थित सिविल जज के समक्ष लंबित दीवानी मुकदमे को वापस लेने के लिए एक आवेदन भी दायर किया। इसके बाद, दिनांक 20.12.2019 के पंजीकृत पट्टा विलेख के माध्यम से, याचिकाकर्ता द्वारा श्री दिनेश कुमार और श्री लीला धर सहित सह-मालिकों से विषयगत भूमि पट्टे पर ले ली गई।

XV. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए, क्योंकि संबंधित भूमि पर न्यायालय का मामला सह-स्वामियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से न्यायालय के बाहर समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया है और उसके बाद ही याचिकाकर्ता के पक्ष में आशय पत्र जारी किया गया है। वास्तव में, प्रस्तावित भूमि के संबंध में दीवानी विवाद का लंबित होना, अभ्यर्थी को खुदरा दुकान डीलरशिप के लिए आवेदन करने से स्वतः ही वंचित नहीं करता है। सभी सह-स्वामियों से शपथपत्र 2018 के उक्त ब्रोशर के परिशिष्ट III ए के अनुसार प्राप्त किए गए थे। चूंकि विवाद का समाधान हो गया था और अदालती मामला वापस ले लिया गया था, इसलिए संबंधित भूमि किसी भी भार से मुक्त हो गई और याचिकाकर्ता/चयनित उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही उसके मामले पर कार्रवाई की गई और उत्तरदाता/बीपीसीएल द्वारा 2018 के उक्त ब्रोशर के अनुरूप एलओआई जारी किया गया।

XVI. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 से शिकायत प्राप्त होते ही याचिकाकर्ता की चयन प्रक्रिया रोक दी गई थी और याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण और सहायक

दस्तावेज मांगे गए थे। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि प्रस्तावित भूमि खुदरा दुकान की स्थापना के लिए उपयुक्त थी और अदालती मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो गया था, उत्तर देने वाले प्रतिवादी/बीपीसीएल ने 21.09.2019 को याचिकाकर्ता को एलओआई जारी करने के लिए कार्यवाही की। वास्तव में याचिकाकर्ता/चयनित अभ्यर्थी ने उत्तरदाता प्रतिवादी/बीपीसीएल को सह-स्वामियों की सहमति सहित सभी प्रासंगिक भूमि दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, जिनकी जांच प्रतिवादी संख्या 5 की शिकायत से पहले ही संबंधित आवेदन जांच समिति द्वारा की गई थी। इसके अलावा, किसी उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी शिकायत पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह 2018 के उक्त ब्रोशर में दिए गए खंड 18 - शिकायत निवारण प्रणाली के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

XVII. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 ने बाद में पीजी पोर्टल के माध्यम से एक अभ्यावेदन दिया था, जिसका जवाब प्रतिवादी/बीपीसीएल के दिनांक 10.08.2019 के पत्र के माध्यम से विधिवत दिया गया था। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी रिट याचिका के पैरा 14 में दिए गए कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने 2018 के उक्त ब्रोशर में वर्णित चयन प्रक्रिया को गलत समझा है। यह उल्लेख करना उचित है कि चयनित व्यक्ति के लिए आवेदन पत्र में उसके द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर क्रेडेंशियल्स का फील्ड सत्यापन (एफवीसी) किया जाना है। एफवीसी द्वारा 2018 के उक्त ब्रोशर में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत एफवीसी किया गया और उसके बाद ही याचिकाकर्ता को एलओआई जारी करने की सिफारिश की गई।

XVIII. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि खुदरा दुकान की स्थापना से पहले, प्रस्तावित भूमि के सह-स्वामियों को एलओआई जारी करने से पहले खुदरा दुकान की स्थापना के लिए अपनी सहमति पत्र देना आवश्यक है। याचिकाकर्ता/चयनित अभ्यर्थी को भूमि के सह-स्वामियों के सहमति हलफनामों सहित सभी प्रासंगिक भूमि दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, जिन्हें उनके द्वारा आवेदन जांच समिति के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया गया था और उनकी प्रामाणिकता के

पूर्ण सत्यापन के बाद ही याचिकाकर्ता के पक्ष में एलओआई जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

XIX. उक्त विशेष अनुमति याचिका इसलिए भी स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 ने अपनी रिट याचिका के पैरा 18 में यह दावा किया था कि पूरी प्रक्रिया लॉटरी की तारीख से 41 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी थी और प्रतिवादी संख्या 5 पूरी तरह से योग्य था और उसने आवेदन करते समय उत्तर देने वाले प्रतिवादी/बीपीसीएल द्वारा अपेक्षित सभी अपेक्षित दस्तावेज दिए थे, जिसे उत्तर देने वाले प्रतिवादी/बीपीसीएल ने दिनांक 03.11.2020 के अपने उत्तर में स्पष्ट किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 का यह कथन कि चयन प्रक्रिया 41 दिनों के भीतर पूरी की जानी थी, निराधार और गलत है। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 का चयन संबंधित स्थान के लिए लॉटरी में नहीं हुआ था और इसलिए उसके लिए प्रतिवादी/बीपीसीएल को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं था।

22. अगर निगम ने डीलरशिप आवंटन में अपीलकर्ता को पूरी तरह से लाभ पहुँचाया होता, तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। ऐसा लगता है कि मौजूदा मुकदमे में ऐसा नहीं है।
23. उच्च न्यायालय ने डीलरशिप के आवंटन के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक कुछ जानकारी का खुलासा न करने पर विचार किया। एक बार जब निगम, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, अपीलकर्ता द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया से आश्वस्त हो गया - तो उच्च न्यायालय के पास डीलरशिप के आवंटन को बाधित करने का कोई अच्छा कारण नहीं था, जो कि प्रतिवादी संख्या 5 के कहने पर वर्ष 2020 में प्रदान किया गया था।
24. बी.पी.सी.एल ने निविदा दस्तावेज तैयार किए हैं, इसलिए वह इसकी आवश्यकताओं को समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा इसके दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। संवैधानिक न्यायालयों को निविदा दस्तावेजों की इस समझ और प्रशंसा को मानना होगा, जब तक कि समझ या प्रशंसा में या निविदा शर्तों के आवेदन में दुर्भावना या विकृति न हो। यह संभव है कि किसी परियोजना का स्वामी या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों की ऐसी व्याख्या कर दे जो संवैधानिक न्यायालयों को स्वीकार्य न हो, लेकिन यह अपने आप में दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

25. न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब किया जाएगा जब दृष्टिकोण मनमाना या दुर्भावनापूर्ण हो या अपनाई गई प्रक्रिया किसी एक के पक्ष में हो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उक्त विकृतियों को दूर रखा गया है। लेकिन जहां कोई निर्णय स्पष्ट रूप से निविदा दस्तावेज की भाषा के अनुरूप लिया जाता है या उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए निविदा जारी की गई है, वहां न्यायालय को संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। न्यायालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन या तुलना अस्वीकार्य होगी। अन्य क्षेत्रों में अनुबंध से संबंधित एक साधारण उपकरण को स्कैन करने और समझने के लिए जो सिद्धांत लागू किया जाता है, उसे तकनीकी कार्य और विशेष कौशल की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों की व्याख्या और मूल्यांकन करने से अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। मालिक को इस उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा जोड़ों में मुक्त गति की अनुमति होनी चाहिए।
26. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आक्षेपित निर्णय कानून की दृष्टि से संधार्य नहीं है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए और तदनुसार, इसे रद्द किया जाता है।
27. अपील उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत स्वीकार की जाती है।
28. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

[†] हेडनोट्स तैयार किए गए: स्वाति एच. प्रसाद, मानद सहयोगी संपादक
(कानून अग्रवाल, अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया)